**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**किशनगंज, जिला बारां (राज.)**
**पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.**

| | | |
|---|---|---|
| नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या | - | 483/2016 |
| सी.आई.एस नंबर | - | 433/2016 |
| CNR No. | - | RJBR130007142016 |
| निर्णय दिनाँक | - | 09.03.2026 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | - | 138/2016 |
| पुलिस थाना | - | भँवरगढ़, जिला बाराँ (राज.) |

**अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304(a) भारतीय दण्ड संहिता**

PART-I

(A)

| | |
|---|---|
| **अभियोगी** | राज्य सरकार |
| **प्रतिनिधित्व द्वारा** | श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी |
| **अभियुक्त** | रामनाथ पुत्र रामनरेश, उम्र 37 वर्ष, निवासी- फेट, पुलिस थाना बासोपारी, जिला मधुवनी (बिहार), हाल हरिधाम सोसायटी, म.नं. 53 प्रियरा ग्रीन सिटी करोदरा सूरत (गुजरात) |
| **प्रतिनिधित्व द्वारा** | श्री अशोक कुमार गोयल व श्री नरेश नागर, विद्वान अधिवक्तागण। |

(B)

| | | |
|---|---|---|
| **अपराध की दिनाँक** | | 01.11.2016 |
| **एफ.आई.आर. की दिनाँक** | | 01.11.2016 |
| **आरोप पत्र की दिनाँक** | | 16.12.2016 |
| **आरोप सुनाये जाने की दिनाँक** | | 16.12.2016 |
| **निर्णय के लिए निर्धारित तिथि** | | 09.03.2026 |
| **निर्णय सुनाने की दिनाँक** | | 09.03.2026 |
| **दण्डादेश (यदि हो तो)** | **सुनवाई की दिनाँक** | - |

(C)

**अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण**

| क्र. सं. | अभियुक्त का नाम | प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक | प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक | आरोपित अपराध | दोषसिद्धि या दोषमुक्त | दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण | अभिरक्षा में बिताई अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | रामनाथ | - | - | 279, 337, 304(a) भा.दं.सं. | दोषमुक्त | - | - |

PART-II

## साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

### (A) अभियोजन साक्षी

| श्रेणी | साक्षी का नाम | साक्षी की प्रकृति |
|---|---|---|
| PW-1 | दीपक कुमार | परिवादी/मजरूब |
| PW-2 | रानी तिवारी | चश्मदीद साक्षी/मजरूबा |
| PW-3 | गिर्राज | नक्शा मौका साक्षी |
| PW-4 | लीलाधर | नक्शा मौका साक्षी |
| PW-5 | दिनेश कुमार मीणा | रेडियोग्राफर |
| PW-6 | अमित झा | चश्मदीद साक्षी/मजरूब |
| PW-7 | निखिल सिंह | चश्मदीद साक्षी/मजरूब |
| PW-8 | रामप्रसाद | अनुसंधान अधिकारी |

### (B) बचाव साक्षी

| RANK | NAME | साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| - | - | - |

### (C) न्यायालय साक्षी

| RANK | NAME | साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

### (A) अभियोजन प्रदर्श

| क्र.सं. | प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| 01. | प्र. पी.1 पी.ड.01, 08 | पर्चा बयान परिवादी/मजरूब दीपक कुमार |
| 02. | प्र. पी.2 पी.ड.01, 03, 04, 08 | फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल |
| 03. | प्र. पी.3 पी.ड.02 | पुलिस बयान गवाह रानी तिवारी |
| 04. | प्र. पी.4 पी.ड.03, 04, 08 | फर्द जप्ती कार मारूति सुजुकी इको GJ 19 AF 4243 |
| 05. | प्र. पी.5 पी.ड.05 | एक्स-रे कवर नोट |
| 06. | प्र. पी.6 पी.ड.05 | एक्स-रे प्लेट |
| 07. | प्र. पी.7 पी.ड.05 | एक्स-रे प्लेट |
| 08. | प्र. पी.8 पी.ड.06 | पुलिस बयान गवाह अमित |
| 09. | प्र. पी.9 पी.ड.07 | पुलिस बयान गवाह निखिल |
| 10. | प्र. पी.10 पी.ड.08 | चाक एफ.आई.आर. |

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | प्र. पी.11 पी.ड.08 | फर्द पंचायतनामा मृतक रमेश सिंह |
| **12.** | प्र. पी.12 पी.ड.08 | फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक रमेश सिंह |

**(B) बचाव प्रदर्श**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित** | **वर्णन** |
|---|---|---|
| | निल | |

**(C) न्यायालय प्रदर्श**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित** | **वर्णन** |
|---|---|---|
| | निल | |

**(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना**

| **क्र.सं.** | **सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक** | **वर्णन** | **मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन** |
|---|---|---|---|
| | निल | | |

**- निर्णय - दिनाँक 09.03.2026**

**1.** प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनाँक 01.11.2016 को परिवादी/मजरूब दीपक कुमार चौधरी पुत्र दिनेश चौधरी जैर इलाज राजकीय चिकित्सालय बारां, जिला बारां (राज.) ने पर्चा बयान इस आशय का लेखबद्ध करवाया कि वह हामड़िया (बिहार) का रहने वाला है। वह सूरत में टी.एम. पटेल कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाईजर का काम करता है। दीपावली का अवकाश होने से कल दिनाँक 31.10.2016 को दिन के 01.30 पी.एम. पर रामनाथ तिवारी की इको गाड़ी नंबर GJ 19 AF 4283 से गुजरात से वह, रामनाथ तिवारी, रामनाथ तिवारी की पत्नी रानी व इनका छोटा बच्चा, रमेश सिंह व दूसरा बच्चा निखिल व अमित सभी लोग बिहार के लिए रवाना हुए। आज रात्रि को वे पुलिस थाना भँवरगढ़ के क्षेत्र में एन.एच. 27 पर भँवरगढ़ बाईपास से पहले पहुँचे। गाड़ी काफी तेज गति से चल रही थी। गाड़ी को स्वयं रामनाथ जी चला रहे थे, जिन्होंने गाड़ी को गलत व लापरवाही से चलाकर डिवाईडर पर चढ़ा दिया। गाड़ी डिवाईडर पर चढ़ने पर एकदम उसे पता चला, वह समझ पता कि गाड़ी 2-3 पलटी खाकर काफी दूर तक एक खाली हुई रोड़ से नीचे गड्डे में जाकर वापस खड़ी हो गई। घटना समय करीब 5-6 बजे की है। गाड़ी पलटी खाने से उसके, रमेश सिंह, अमित, रानी तिवारी, निखिल सभी के चोटें आईं। इसके बाद उसने गाड़ी से निकलकर बाकी लोगों को निकाला। आस-पास लोग मदद के लिए आ गए। पुलिस की जीप भी आ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस द्वारा उन्हें इलाज के लिए बारां अस्पताल भिजवा दिया। रमेश सिंह के अधिक चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई.....इत्यादि। उक्त के आधार पर पुलिस थाना भँवरगढ़, जिला बारां (राज.) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2016 धारा 279, 337, 304(a) भा.दं.सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त रामनाथ के विरूद्ध धारा 279, 337, 304(a) भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप सारांश की विशिष्टियों को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

4. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कथन किया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूँठा फँसाया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाये गए गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभास जाहिर होता है। किसी भी गवाह ने वाहन तथा वाहन चालक की पहचान नहीं की है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना जाहिर कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं-

**(1) क्या अभियुक्त रामनाथ ने दिनाँक 01.11.2016 को रात्रि के किसी समय मौजा एन.एच. 27 भँवरगढ़ बाईपास के पहले वाहन मारूति सुजुकी ईको कार रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 19 AF 4283 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी/मजरूब दीपक, अन्य आहतगण रानी तिवारी, निखिल, अमित व रमेश सिंह, जो उक्त मारूति सुजुकी ईको कार रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 19 AF 4283 में सवार थे, को पलटी खिलाकर परिवादी/मजरूब दीपक, अन्य आहतगण रानी तिवारी, निखिल व अमित के शरीर पर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा रमेश सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?**

**(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?**

7. उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी/मजरूब दीपक कुमार के पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा मारूति सुजुकी ईको कार रजिट्रेशन नंबर GJ 19 AF 4283 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पलटी खिला देना, जिसमें परिवादी/मजरूब दीपक कुमार, अन्य आहतगण रानी तिवारी, निखिल व अमित के शरीर पर चोटें आना तथा रमेश सिंह की मृत्यु हो जाना अंकित किया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में आरोपित किया गया है।

8. उक्त के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी/मजरूब पी.ड.01 दीपक कुमार है, जो हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी भी है, अपनी मुख्य परीक्षा में वर्ष 2016 में स्वयं, रामनाथ, रमेश, रानी

और अमित सभी का सूरत से बिहार जा रहे होने, गाड़ी में सोए हुए होने पर भँवरगढ़ बाईपास के पास आँख खुलने पर गाड़ी के आगे एक गाय अचानक आ जाने से गाड़ी डिवाईडर पर चढ़कर पलटी खा जाने का पता चलने, सभी के चोटें आने, रमेश की मृत्यु हो जाने, एम्बुलेंस से इलाज के लिए बारां सरकारी अस्पताल लाने, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 व पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 व पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 पर उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये थे तथा उसमें क्या लिखा है, उसे पता नहीं है। गवाह आगे बताता है कि वह सोया हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है तथा गाड़ी के नंबर भी उसे पता नहीं है। गवाह इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पुलिस ने अपने मन से बनाया है। इस प्रकार उक्त साक्षी न तो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के संबंध में कोई कथन करता है और न ही वाहन चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा हो, इस संबंध में कोई कथन करता है।

**9.** गवाह पी.ड.02 रानी तिवारी, हस्तगत प्रकरण में मजरूबा होकर घटना की चश्मदीद साक्षी भी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में करीब 8-10 साल पहले गाड़ी से सूरत से गाँव फेंट जा रहे होने पर रास्ते में गाड़ी में सो रही होने, अचानक गाड़ी का डिवाईडर पर चढ़कर पलटी खा जाने से उसके भी चोटें आने की साक्ष्य देती है। गवाह आगे साक्ष्य देती है कि गाड़ी कौन चला रहा था, किसकी गलती से गाड़ी पलटी खायी, उसे नहीं पता, ना ही उसे घटना के बारे में पता है। गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही हुई है। **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी.3 का ए से बी भाग सुनकर इंकार करती है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** में गवाह दुर्घटना के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी के नंबर क्या थे, उसे पता नहीं होना बताती है।

**10.** प्रकरण में अन्य चश्मदीद साक्षी/मजरूब पी.ड.06 अमित झा है, जो अपने मुख्य परीक्षण में करीब 08 साल पहले अपना, रामनाथ, रमेश, दीपक और दो बच्चों का इको गाड़ी से सूरत से बिहार जा रहे होने पर रास्ते में अचानक गाय का गाड़ी के सामने आने पर उसको बचाने से गाड़ी का डिवाईडर पर चढ़कर पलटी खा जाने, जिसमें उन सभी के चोटें आने की साक्ष्य देता है। गवाह आगे साक्ष्य देता है कि गाड़ी के नंबर व गाड़ी कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है। पुलिस बयान में उसने गाड़ी के नंबर व चालक का नाम नहीं बताया और वह एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी भी पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है। **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श प्रदर्श पी.8 का ए से बी भाग सुनकर इंकार किया तथा कहा कि उसे गाड़ी के नंबर पहले भी याद नहीं थे, आज भी याद नहीं है, ना ही उसने पुलिस बयान में बताया था, ना ही रामनाथ चालक की लापरवाही, गफलत के कारण एक्सीडेंट होना बताया था। गवाह आगे बताता है कि गाड़ी को एक्सीडेंट के समय कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है तथा उसे सिर में चोट आने से वह लगते ही बेहोश हो गया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को अवसर दिये जाने के पश्चात भी गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

**11.** अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.07 निखिल सिंह भी हस्तगत प्रकरण में मजरूब होकर चश्मदीद साक्षी है, जो घटना से पूर्णतः अनभिज्ञता

जाहिर करता है तथा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि दुर्घटना होने का उसे पता नहीं है, वह छोटा था और पीछे सो रहा था। उसके दांये हाथ पर थोड़ी बहुत चोट आयी थी। पुलिस को उसने कभी बयान नहीं दिया और ना ही गाड़ी के नंबर लिखाये। उस समय वह 10-11 साल का था, उसे कुछ पता नहीं है। गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है। **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह** पुलिस बयान प्रदर्श पी.9 का ए से बी भाग सुनकर इंकार करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

**12.** गवाह पी.ड.05 दिनेश कुमार मीणा हस्तगत प्रकरण में रेडियोग्राफर है, जो अपने मुख्य परीक्षण में दिनाँक 02.11.2016 को राजकीय चिकित्सालय बारां में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत होने के दौरान मजरूब रानी बाई का एक्स-रे करने तथा सुसंगत फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। उक्त गवाह से भी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

**13.** हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.ड.03 गिर्राज व पी.ड.04 लीलाधर फर्द जप्ती व नक्शे मौके के साक्षी हैं, जो अपने मुख्य परीक्षण में 08-09 साल पहले भँवरगढ़ के पास हाईवे पर दुर्घटना होने, जिसमें गाड़ी मारूति सुजुकी इको को उनके सामने जप्त करने, फर्द जप्ती प्रदर्श पी.4 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पर अपने-अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देते हैं।

**14.** अब अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण साक्षी पी.ड.08 रामप्रसाद, अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में दिनाँक 01.11.2016 को थाना भँवरगढ़ पर ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत होने, सूचना मिलने पर जैर इलाज मजरूब दीपक कुमार चौधरी के पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 लेने, दौराने अनुसंधान फर्द पंचायतनामा मृतक रमेश व मृतक लाश की सुपुर्दगी क्रमशः प्रदर्श पी.11 व 12 मुर्तिब करने, मारूति सुजुकी गाड़ी को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी.4 जप्त करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 मुर्तिब करने, गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, वाहन मालिक रामनाथ का धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस शामिल पत्रावली करने, मैकेनिकल मुआयना करवाने, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मजरूबान की एम.एल.सी. रिपोर्ट शामिल पत्रावली करने, संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश करने की साक्ष्य देता है। **दौराने जिरह गवाह** इस सुझाव को स्वीकार करता है कि गाड़ी का नंबर व चालक का नाम उसे याद नहीं है। गवाह इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि घटनास्थल पर पप्पू, रितेश शर्मा, छीतरलाल, इत्यादि के खेत हैं, जिनसे उसने घटना के बाबत् कोई पूछताछ नहीं की और न ही किसी अन्य गवाहों के बयान लिए।

**15.** इस प्रकार पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी/मजरूब दीपक कुमार ने पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 में इको गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 19 AF 4283 के चालक रामनाथ द्वारा गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाकर गाड़ी को डिवाईडर पर चढ़ा देना बताया है, जिसके संबंध में गवाह पी.ड.01 दीपक कुमार न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा वक्त घटना स्वयं का सो रहे

होने का कथन किया है। साथ ही दौराने जिरह गवाह बताता है कि वह सोया हुआ था। गाड़ी कौन चला रहा था व गाड़ी के नंबर क्या थे, उसे याद नहीं है। गवाह इस दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 पुलिस ने अपने मन से बनाया था तथा उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

**16.** उक्त के संबंध में हस्तगत प्रकरण में अन्य चमश्दीद साक्षी/मजरूबान पी.ड.02 रानी तिवारी, पी.ड.06 अमित झा व पी.ड.07 निखिल सिंह भी अपने मुख्य परीक्षण में गाड़ी के नंबर व गाड़ी कौन चला रहा था, पता नहीं होना बताते हैं। गवाह पी.ड.02 रानी तिवारी दौराने प्रतिपरीक्षण दुर्घटना के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी के नंबर क्या थे, उसे पता नहीं होना बताती है। वहीं गवाह पी.ड.06 अमित झा दौराने प्रतिपरीक्षण गाड़ी के एक्सीडेंट के समय कौन चला रहा था, उसे पता नहीं होना तथा उसके सिर में चोट आने से बेहोश हो जाना बताता है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.08 रामप्रसाद भी दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि गाड़ी का नंबर व चालक का नाम उसे याद नहीं है।

**17.** यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाहन मालिक रामनाथ को नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. दिया गया है, परंतु उक्त नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट अभियुक्त को ही दिया गया है, जो पुलिस के समक्ष की गई संस्वकृति की श्रेणी में आता है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। साथ ही गवाह पी.ड.03 गिर्राज व पी.ड.04 लीलाधर हस्तगत प्रकरण में फर्द जप्ती व नक्शा मौके के साक्षी होकर औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में चमश्दीद साक्षी/मजरूबान पी.ड.02 रानी तिवारी, पी.ड.06 अमित झा व पी.ड.07 निखिल सिंह पूर्णतः पक्षद्रोही हुए हैं। परिवादी सहित किसी भी चश्मदीद साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

**18.** इस प्रकार ना तो यह साबित हो पाया है कि जप्तशुदा वाहन से ही दुर्घटना कारित हुई, ना ही चालक की पहचान स्थापित हुई है। किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि वाहन चालक वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से संचालित कर रहा हो, जिससे दुर्घटना के मामले के तीनों ही बिंदुओं को अभियोजन पक्ष अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। साथ ही जब अभियोजन न तो चालक व न ही वाहन की पहचान स्थापित कर पाया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अन्य बिंदुओं पर विवेचन दिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को **आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304(a) भारतीय दण्ड संहिता** के तहत **साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## -आदेश-

**19.** परिणामस्वरूप **अभियुक्त रामनाथ पुत्र रामनरेश, उम्र 37 वर्ष, निवासी-फेट, पुलिस थाना बासोपारी, जिला मधुवनी (बिहार), हाल हरिधाम सोसायटी, म.नं. 53 प्रियरा ग्रीन सिटी करोदरा सूरत (गुजरात)** को अपराध अंतर्गत **धारा 279, 337, 304(a) भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

**20.** हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो उसी के पास बना रहे और बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

**21.** अभियुक्त की उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

**22.** अभियुक्त को धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल किसी अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की प्रतिभूति सहित बंधपत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत पत्र 06 माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

**(लोकेन्द्र चौधरी)**
**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**किशनगंज, जिला बारां (राज.)**

**23.** निर्णय आज दिनाँक 09.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(लोकेन्द्र चौधरी)**
**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**किशनगंज, जिला बारां (राज.)**